# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

## (पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

**अपील संख्या : 47/2018**

1. ईश्वर
2. सुखवीर

} पिसरान रतिराम जाति अहीर निवासी कोकरौला तहसील व जिला गुडगॉव हरियाणा।

अपीलान्टान

**बनाम**

1. रतनसिंह
2. नबाबसिह

} पिसरान राजाराम जाति गूजर निवासी सामन्तपुरा तहसील वैर जिला भरतपुर।

3. राजस्थान सरकार (तामील तहसीलदार वैर पर होगी)

असल रैस्पोडेन्टान

4. अमरसिंह
5. तुलसीराम
6. सुगरसिंह

} पिसरान दयाचन्द जाति गूजर निवासी सामन्तपुरा तहसील वैर जिला भरतपुर।

तरतीवी रैस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 06.07.2012 नामान्तरकरण संख्या 963 वाकै ग्राम खोहरा तहसील वैर।

उपस्थित :– 1. श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक अपीलान्टान
2 रैस्पो0 अनुपस्थित

## निर्णय

दिनांक : 29.12.2020

अपीलान्टान ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 06.07.2012 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण संख्या 963 ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

खोहरा तहसील वैर रैस्पो0 के हक में स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 963 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलवी की गई। नोटिस एवं रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस तामील नहीं होने के कारण रैस्पो0 को जरिये नोटिस साया कराया गया। रैस्पो0 उपस्थित नहीं आये है। अतः बहस एक तरफा अपीलान्ट सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्टान ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दाहेराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 208 रकवा 20 वीघा 03 विस्वा वाकै ग्राम खोहरा तहसील वैर में से 15/24 हिस्सा अमरसिंह, तुलसीराम, सुगरसिंह पिसरान दयाचन्द तथा रतनसिंह, नबाबसिंह पिसरान राजाराम रैस्पो0 संख्या 1 व 2 से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 14.03.2012 को कराया था। पटवारी हल्का ने अमरसिंह, तुलसीराम, सुगरसिंह पिसरान दयाचन्द के हिस्से का बयनामा का दाखिल खारिज खोल दिया मगर सहवन से रैस्पो0 रतनसिंह, नबाबसिंह, पिसरान राजाराम के हिस्से का नामान्तरकरण खोलने से रह गया अपीलान्टान पटवारी हल्का के पास गये तब रिकार्ड देखने पर इस बात की जानकारी हुई है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि बयनामा दिनांक 14.03.2012 में रैस्पो0 संख्या 1 व 2 के हिस्से पर नामान्तरकरण स्वीकार नहीं करने में अदालत तहत ने कानूनी गलती की है। अपीलान्टान जब आराजी मुतनाजा पर दिनांक 22.07.2018 को जुतवाने गये तब रैस्पो0 ने अपीलान्टान को मौके से यह कहकर भगा दिया कि आराजी मुतनाजा पर हमारे नाम खोतदारी अभी दर्ज है तब अपीलान्टान पटवारी हल्का के पास दिनांक 23.07.2018 को गये तथा वहां पर अपना रिकार्ड देखा तथा दिनांक 24.07.2018 को नामान्तरकरण की नकल को पत्र तहसील वैर में पेश किया जो उसी दिन दिनांक 24.07.2018 को मिलने के उपरान्त योम जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद बिना किसी देरी के पेश की गई है। अपील पेश करने में अब तक हुई देरी को माफ कराये जाने के लिये पृथक से धारा 5 अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ मय शपथ पत्र पेश किया है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध सत्य प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 963 ग्राम खोहरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

तहसील वैर का अवलोकन किया गया। अपीलान्टान का कहना है कि उन्होने रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 14.03.2012 से रैस्पो0 विक्रयकर्ता अमरसिंह, तुलसीराम, सुगरसिंह, रतनसिंह, नबाबसिंह आराजी खसरा नम्बर 208 रकवा 20.03 वीघा का 15/24 का हिस्सा क्रय किया था। मुताविक बयनामा विवादित नामान्तरकरण में रतनसिह व नबाबसिंह का हिस्सा का नामान्तरकरण खोलने से रह गया है। रतनसिंह व नबाबसिंह के हिस्से का नामान्तरकरण खोले जाने की मांग की गई है। इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध बयनामा दिनांक 1.03.2012 का अवलोकन किया जिसमें अमरसिंह, तुलसीराम, सुगरसिंह, रतनसिंह, नबाबसिंह ने खसरा नम्बर 208 रकवा 20.03 वीघा में से 15/24 हिस्सा अपीलान्टान को विक्रय किया जाना स्पष्ट है। जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 963 दिनांक 06.04.2012 में कॉलम नम्बर 7 में विक्रेतागण में केवल अमरसिंह, तुलसीराम, सुगरसिंह को ही दर्ज किया गया है। विक्रेता रहनसिंह, नबाबसिंह का नमा छोड दिया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 963 मुताविक बयनामा नहीं खोला गया है जो काबिल खारिजी के रहता है। अतः प्रकरण को मुताविक बयनामा दिनांक 14.03.2012 के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने हेतु तहसीलदार वैर को भेजा जाना उचित पाते है।

**अतः आदेश है किः–**

उपरोक्त विवेचनानुसार आपील अपीलान्टान स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरकरण संख्या 963 दिनांक 06.07.2012 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार वैर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे मुताविक बयनामा दिनांक 14.03.2012 के अनुसार पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दि. 29.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना ग्रहावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर (राज.)